मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2005 (श्रावण 6, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-43-2001-विक-पांच (24) दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.23-35-95-पच्चीस-5, दिनांक 31 जनवरी, 2005 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 8-2002-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 15 जून, 2005 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-1-2000-एक-10, दिनांक 15 फरवरी, 2005 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट जिले की विभिन्न तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के बावजूद सहकारी बैंकों द्वारा किसानों एवं व्यापारियों से ऋण की वसूली किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य, मंडला जिले के नैनपुर विकास खण्ड में आबकारी विभाग के अमले द्वारा आदिवासियों का शोषण किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

" सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 27 जुलाई, 2005